न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या 83 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. कानाराम पुत्र कुताराम 2. गोपाराम पुत्र कुताराम जातिगण घांची निवासीगण सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. कालूराम पुत्र सुजाराम 2. शिवलाल पुत्र सुजाराम 3. ओमप्रकाश उर्फ पप्पुराम पुत्र सुजाराम जातिगण घांची निवासीगण सोजत सिटी तह0—सोजत जिला—पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री ताराचंद भाटी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 07/08/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार (लैण्ड रिकॉर्ड्स) सोजत अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तह0 सोजत के खसरा नंबर 162 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 163 रकबा 0.2900 हैक्टर में पंहुचने के लिए अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि के खसरा संख्या 161 रकबा 1.2500 हैक्टर में से अपनी खातेदारी कृषि भूमि में जाने हेतु आशय रखते है, इसलिए प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' के तहत आवेदन किया है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नंबर 162, 163 तक आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 161 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी की अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। पूर्व में खसरा संख्या 161 में स्थित रास्ते से होकर ही प्रार्थीगण आवागमन करते थे, लेकिन अप्रार्थीगण ने नाजायत तरीके से उक्त आवागमन के रास्ते पर खड्डे खुदवा दिये एवं काटों की बाड़ कर अवरूद्ध कर दिया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई रास्ता नहीं रहा हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तह0 सोजत के खसरा नंबर 162 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 163 रकबा 0.2900 हैक्टर में पंहुचने के लिए अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि के खसरा संख्या 161 रकबा 1.2500 हैक्टर में से अपनी खातेदारी कृषि भूमि में जाने हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता आने जाने हेतु दिलाया जाने एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाने की ईश्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ताराचंद भाटी ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के न्यायालय में उपरोक्त अनवान प्रकरण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों व अपनी अन्य जोतों तथा बेरे की भूमि व अन्य संयुक्त खातेदारों को छुपाते हुए अप्रार्थीगण की कृषि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय खसरा नंबर 161 की कृषि भूमि की नयी जोत में खसरा नंबर 162 व 163 में जाने हेतु आशय रखने का कथन गलत अंकित किया है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि खसरा नंबर 596 एक डामरीकृत युक्त सड़क मार्ग है तथा उस सड़क मार्ग के सहारे सहारे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 161 के आगे खसरा नंबर 596 की भूमि गैर मुमकिन गोवा की भूमि है। प्रार्थीगण का आवागमन का रास्ता खसरा नंबर 596 सड़क मार्ग से होते हुए खसरा नंबर 143 के पास होते हुए एक सड़क मार्ग आया हुआ स्थित है। उस सडक मार्ग से खसरा नंबर 174 रकबा 0.1000 हैक्टर बारानी अव्वल जो प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की संयुक्त भूमि स्थित है, जो रास्ते की भूमि है, तथा इस रास्ते में होकर प्रार्थीगण अपने बेरे खसरा नबंर 188 से होकर अपनी अपनी जोतों में आवागमन करते है। इस प्रकार खसरा नबर 167, 166, 165, 164, 163, 162 में आवागमन इन खसरों में बने व छोड़े गये रास्ते में होकर आवागमन कदीम से होता हुआ आया है, इन खसरो में आवागमन हेतु मुरडिया/जिकड/पत्थर की सड़क बनी हुई है। जिसमें से होकर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित व अन्य खसरान की कृषि भूमियों में आवागमन करते आये है। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ मौके की स्थिति का एक नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें ए से बी, व सी से डी खसरा नंबर 174 रास्ते को दर्शाया गया है। नजरी नक्शा में मार्क ई.एफ.जी.एच. आई.जे. समस्त भूमियां सोतरा नाडा के नाम से जानी व पहिचानी जाती है तथा ये तमाम खसरान की भूमियां प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों की आयी हुई स्थित है। जिसका आवागमन मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते से होकर ही प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियां व अन्य खसरान की भूमियों में होकर कदीम से होता हुआ है, इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित जोत में जाने का सुगम रास्ता मौके पर मौजूद है। नजरी नक्शे में रास्ते की भूमि को आसमानी रंग से दर्शाया है। उपरोक्त नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त तमाम तथ्यों को छुपाते हुए गलत तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी कानाराम द्वारा खसरा नंबर 596 में खसरा नंबर 161 के आगे अनाधिकृत रूप से गैर मुमकिन गौवा की भूमि में अतिक्रमण नाजायज कब्जा करने की नियत से कुचौष्ठा रखते है तथा प्रार्थी को हैरान व परेशान करने पर आमदा है। तथा गैर मुमकिन गौवा की भूमि अतिक्रर्मी होने से धारा 251 क, के अन्तर्गत एक अतिक्रर्मी को नया रास्ता लाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता है तथा न्यायहित में खसरा नंबर 161 के आगे की गोवा की भूमि को खाली करवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आवागमन हेतु जवाब प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाये गये रास्ते से होकर ही आवागमन का रास्ता अपने बेरे व अन्य भूमियों में जाने का उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में धारा 251 क, के प्रावधान आकृर्षित नहीं होते है व प्रार्थीगण को नया रास्ता कतई नहीं दिया जा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

सकता है। प्रकरण हाजा में अप्रार्थीगण को कोई रजिस्टर्ड नोटिस नही दिया गया है, क्योंकि खातेदारी अप्रार्थीगण के पिता सुजाराम जी की है, तथा उनके विधिक वारिसान को रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना आवश्यक था, जिसके अभाव में कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। प्रकरण हाजा में अप्रार्थीगण को न्यायालय का नोटिस दिनांक 30/06/2022 को कांटा छांटा सुदा मिला था, जबकि दिनांक 30/06/2022 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा पता करने पर उक्त दिनांक को पत्रावली कतई नियत नही थी, पत्रावली दिनांक 27/05/2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने तथा दिनांक 09/6/2022 को पेश होने के आदेश दिये गये थे। दिनांक 09/06/2022 को आदेशिका अनुसार नोटिस तामिल/अदम तामिल का कोई हवाला नहीं है। तथा पेशी 05/07/2022 को मुकर्रर की गई, इसके उपरान्त न्यायालय द्वारा तलबी का आदेश नहीं होने के बावजूद भी उसी समन पर दिनांक 09/06/2022 के बजाय दिनांक 30/06/2022 मनमर्जी रूप से लिखकर समन पुनः भेज दिया। इस प्रकार प्रकरण हाजा में भारी अनियमितता बरती गयी है तथा न्यायालय के बिना आदेश जारी समन का कोई कानूनन अस्तित्व नहीं है। जिससे अप्रार्थीगण को तामील कतई नहीं मानी जा सकती है एवं न्यायालय के इस प्रकार के आचरण से अप्रार्थीगण पर प्रीजुडिस हुआ है, इसलिए न्यायालय द्वारा आगामी कार्यवाही को खारिज किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में ए.बी. में जो प्रविष्ठियां वर्णित की है, उक्त परिशिष्ठियों को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की जोत खसरा नंबर 161 में से 20 फुट या अन्य किसी प्रकार का कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण को उक्त जोत में पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में सड़क से निकटतम रास्ता प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थीगण नहीं रखते है। प्रार्थी ने भूमि पर आवागमन का कोई रास्ता नहीं होने के तथ्य गलत अंकित किये है। जिससे उनके विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया आना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में खढढे या टिले निर्मित करे, उसमें प्रार्थीगण की कोई आपति कानूनन शुमार योग्य नहीं है। धारा 251क, में प्रतिकर शब्द अंकित किया गया है, तथा प्रतिकर का तात्पर्य राशि मात्र से ही कतई नहीं है। प्रतिकर किसी रूप में प्रदान किया जा सकता है। भूमि के बदले भूमि भी प्रतिकर की तारीफ में आती है, जिससे प्रार्थीगण का नियमानुसार राशि जमा करवाने के कथन सर्वथा गलत है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में जो आसमानी रंग से रास्ता दर्शाया गया है, व बेरा सोतरा नाडा में प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की मौका स्थिति कमिश्नर तहसीलदार से मंगवायी जानी आवश्यक एवं न्याय संगत है। जिससे दोनों पक्षकारान के मध्य रास्ते के विवाद का निस्तारण हो सके। जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया, सा0मि0 किया गया।

तहसीलदार सोजत को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किये जाने पर अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1138 दिनांक 14.03.2024 द्वारा जांच कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सोजत चक 2 के खसरा नं0 162 व 163 में पहुंचने हेतु निकटतम रास्ता खसरा नं0 161 में खसरा नंबर 223 व 224 की तरफ से चाहा हैं, जो मौके पर भी चालू है तथा इसी रास्ते से होकर विगत कई वर्षो से खसरा नंबर 162 व 163 में आ जा रहे हैं। उक्त रास्ते के अलावा अन्य

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

कोई निकटतम रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.0804 हैक्टर हैं। रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 सोजत द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि ग्राम सोजत चक 2 के खसरा नं0 162 व 163 में पहुंचने हेतु निकटतम रास्ता खसरा नं0 161 में खसरा नंबर 223 व 224 की तरफ से चाहा हैं, जो मौके पर भी चालू है तथा इसी रास्ते से होकर विगत कई वर्षो से खसरा नंबर 162 व 163 में आ जा रहे हैं। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.0804 हैक्टर हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 478662/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (478662/- रू0 × 2 × 0.0804 है0 = 76969/- रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 161 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत सोजत की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों को दोहराते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तह0 सोजत के खसरा नंबर 162 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 163 रकबा 0.2900 हैक्टर में पंहुचने के लिए अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि के खसरा संख्या 161 रकबा 1.2500 हैक्टर में से अपनी खातेदारी कृषि भूमि में जाने हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता आने जाने हेतु दिलाया जाने एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाने की ईश्तदुआ की है। जबाव बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन हेतु अन्य मार्ग उपलब्ध है, जिससे प्रार्थीगण आते जाते हैं। चूंकि प्रार्थी की भूमि में आने हेतु अन्य मार्ग हैं और सुविधाजनक मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना परिलक्षित होता है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार,, सोजत भू0अ0निरी0 सोजत, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 161 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के **Mandatory Provision** को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तह0 सोजत के खसरा नंबर 162 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 163 रकबा 0.2900 हैक्टर की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की ख0न0 161 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 161 में से (478662/– रू0 × 2 × 0.0804 है0 = 76969/–) उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	161	1.2500 है0	कालुराम पुत्र सुजाराम ओमप्रकाश,पुत्र सुजाराम शिवलाल पुत्र सुजाराम जाति घांची सा.देह खातेदार	134 मी0× 6 मी0 = 0.0804 है0	25656/– 25656/– 25657/–

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जांवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 01/08/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)